

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
// आदेश //

रायपुर, दिनांक 11/06/2013


क्रमांक एफ-3-100/रा-2/बजट/2009 : : राज्य शासन द्वारा वित्त विभाग के पत्र क्रमांक 151/वित्त/चार/2012 (वित्त निर्देश 25/2012) दिनांक 1.5.2012 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप "अपरीक्षित नवीन मद" में शामिल प्रस्तावों के परीक्षण एवं अनुशंसा हेतु प्रशासकीय विभाग स्तर पर निम्नानुसार समिति का गठन करता है :-

1	प्रमुख सचिव /सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास विभाग	अध्यक्ष
2	आयुक्त, राहत/पुनर्वास/भू-अभिलेख छ0ग0रायपुर/संभागायुक्त, रायपुर/बस्तर /बिलासपुर/सरगुजा /संचालक,शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री रायपुर/सचिव, राजस्व मण्डल छ0ग0 बिलासपुर	सदस्य
3	संयुक्त सचिव /उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग (वित्त विभाग का प्रतिनिधि)	सदस्य
4	संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	सदस्य- सचिव

2/- समिति की बैठक का आयोजन किये जाने के पूर्व बैठक का एजेण्डा समिति के सदस्यों को बैठक के 07 दिवस के पूर्व उपलब्ध कराया जाना होगा तथा समिति की अनुशंसा के अनुरूप बैठक का कार्यवाही विवरण जारी किये जाने के बाद स्वीकृति जारी करने के पूर्व प्रस्ताव पर भारसाधक मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाना होगा । तदोपरांत स्वीकृति आदेश जारी किया जाये ।

3/- प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग के प्रतिनिधि के मध्य मतभिन्नता की स्थिति में प्रकरण स्वीकृति हेतु वित्त विभाग को संदर्भित किया जायेगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


11/6/13
(सी.तिकी)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग




14/6/13

पृ0कमांक एफ-3-100/रा-2/बजट/2009
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 11/06/2013

1. अपर मुख्य सचिव, छ0ग0 शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, रायपुर
2. सचिव, छ0ग0शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास विभाग मंत्रालय, रायपुर
3. उप सचिव, छ0ग0शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय रायपुर
4. संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव छ0ग0 शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास विभाग, मंत्रालय रायपुर ।
5. आयुक्त, राहत/पुनर्वास/भू-अभिलेख, छ0ग0 रायपुर, सरगुजा/बस्तर/रायपुर/बिलासपुर ।
6. सचिव, राजस्व मण्डल छत्तीसगढ़, बिलासपुर
7. संचालक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रायपुर ।
8. संचालक, एन.आई.सी. मंत्रालय रायपुर की ओर राजस्व विभाग के वेबसाइट www.cg.nic.in/revenue में अपलोड करने हेतु
9. स्टॉक फाइल


11/6/13
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

